न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अनुमति वाद संख्या- 09/2019

वृजकिशोर राम (विक्रेता)

बनाम्

रीता देवी (क्रेता)

आदेश

प्रस्तुत वाद वृजकिशोर राम पिता- स्व0 गम्भीर राम, ग्राम- जान्हों, पो0- बरवैया, थाना- मनिका, जिला- लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत क्रेता रीता देवी पति- पिन्टू पासवान, ग्राम- जान्हों, पो0- बरवैया, थाना- मनिका, जिला- लातेहार के साथ मौजा- जान्हों, खाता संख्या-6, प्लॉट संख्या- 92, रकबा- 0.31 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति के लिए दिये गये आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। अनुमति के लिए विक्रेता द्वारा आवेदन में बिक्री से संबंधित प्रस्तावित भूमि का जाचं प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, मनिका से की गयी।

अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक- 63 दिनांक 21.02.2019 से अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसका अवलोकन किया। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता भुईयां एवं क्रेता दुसाध जाति के सदस्य हैं तथा दोनो एक हीं जिला क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों अनुसूचित जाति दम्पति के उत्पन्न संतान है। आवेदक को अपनी पुत्री की विवाह के लिए रूपये की सख्त आवश्यकता है, जिसका बन्दोबस्त बिना जमीन बिक्री के हो पाना संभव नहीं है। बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता का खतियानी भूमि है तथा जमाबन्दी विक्रेता के पिता गम्भीर भुईयां एवं अन्य के नाम से चलता है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा धारित भूमि का रकबा- 4.00 एकड़ है, जिसमें से आवेदक रकबा- 0.31 $\frac{1}{2}$(शून्य दशमलव तीन एक पुर्णांक एक बट्टा दो) एकड़ भूमि क्रेता रीता देवी के साथ बिक्री करना चाहतें है। अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास रकबा-3.68 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि शेष बचता है। अंचल अधिकारी, मनिका के प्रतिवेदन के अनुसार अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि विक्रेता का रैयती भूमि है। आवेदक द्वारा बिक्री हेतु अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि का आम इस्तेहार निर्गत किया गया, जिसके विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति आवेदन नहीं दिया गया है। साथ ही अंचल अधिकारी, मनिका द्वारा पत्रांक-433 दिनांक-06.10.2021 से भूमि पर विक्रेता का स्वामित्व होने का उल्लेख किया गया है। अंचल अधिकारी, मनिका द्वारा विक्रेता को भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, मनिका से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुमति प्रदान करने हेतु किये गये अनुशंसा के आधार पर बिक्रेता वृजकिशोर राम पिता- स्व0 गम्भीर राम, ग्राम- जान्हों, पो0- बरवैया, थाना- मनिका, जिला- लातेहार द्वारा मौजा- जान्हों, खाता संख्या-6, प्लॉट संख्या- 92, रकबा- 0.31 $\frac{1}{2}$एकड़ भूमि की बिक्री क्रेता रीता देवी, पति- पिन्दु पासवान, ग्राम- जान्हों, पो0- बरवैया, थाना- मनिका, जिला- लातेहार साथ करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के अंतर्गत अनुमति प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Abu Imran
Date: 2022.01.11 13:46:58 +05:30
Location: 10.93.47.14

Scanned with CamScanner